



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मार्च 17, 2011/फाल्गुन 26, 1932

No. 141]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2011/PHALGUNA 26, 1932

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2011

सा.का.नि. 220(अ).—केन्द्रीय सरकार तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 31 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (मृत्यु और सेवानिवृत्ति) उपदान नियम, 1983 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (मृत्यु और सेवानिवृत्ति) उपदान (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (मृत्यु और सेवानिवृत्ति) नियम, 1983, इसके पश्चात् यह मूल नियम संदर्भित हैं, के नियम 2 में—

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(क) ‘परिलब्धियां’ से केन्द्रीय सरकार द्वारा उपदान परिकलन के लिए समय-समय पर जारी किए जाने वाले आदेश के अनुसार निर्धारित परिलब्धियां अभिप्रेत हैं”;

(ख) खण्ड (घ), के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) ‘अर्हक सेवा’ से 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के पश्चात् बोर्ड में की गई निरंतर सेवा जिसके अन्तर्गत इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व अर्थात् बोर्ड में नियुक्ति की तारीख से अवकाश वेतन के बिना असाधारण अवकाश की अवधि और विशेष शास्ति के रूप में समायोजित निलंबन की अवधि को छोड़कर की गई निरंतर सेवा अभिप्रेत है :

बशर्ते बोर्ड, आदेश द्वारा, किसी कर्मचारी द्वारा बोर्ड की सेवा में नियुक्ति से पूर्व प्रशिक्षण के दौरान व्यतीत अवधि को अर्हक सेवा के रूप में गिनने का निर्णय ले सकता है;”;

(ग) खण्ड (ड) में “58/60 वर्ष” शब्दों के स्थान “60 वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

3. मूल नियमों में, नियम 5 में,—

(क) उप-नियम (1) में “रुपये एक लाख” शब्दों के स्थान पर “रुपये दस लाख” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) में, मद (iv) में “उपदान की रकम” शीर्ष के अन्तर्गत “रुपये एक लाख” शब्दों के स्थान पर “रुपये दस लाख” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

4. मूल नियमों में, नियम 8 में, उप-नियम (1) तथा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे अर्थात् :—

“(1) उपदान के लिए अर्हक सेवा अवधि की गणना के लिए, एक साल के तीन या अधिक महीनों के भाग को एक पूर्ण अर्ध-वार्षिक साल माना जाएगा तथा अर्हक सेवा में गिना जाएगा।

(2) मृत्यु या सेवानिवृत्ति उपदान की अन्तिम गणना में रुपये के अंश भाग को रुपये के अगले पूर्णांक में संगठित किया जाएगा।”

5. मूल नियमों में नियम 13 तथा 16 हटा दिए जाएंगे।

[फा. सं. जी-37026/4/2003-वित्त-II]

पी. कल्याणसुन्दरम, निदेशक (आई/सी) एवं वित्त पाद टिप्पणी : मूल नियम संख्या सा.का.नि. 919(अ), दिनांक 26 दिसम्बर, 1983 द्वारा अधिसूचित किये गये और तत्पश्चात् संख्या सा.का.नि. 398(अ), दिनांक 30 मार्च, 1989 द्वारा संशोधित किये गये।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2011

G.S.R. 220(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 5 read with Section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules to further amend Oil Industry Development Board Employees' (Death-cum-Retirement) Gratuity Rules, 1983, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Oil Industry Development Board Employees (Death-cum-Retirement) Gratuity (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Oil Industry Development Board Employees' (Death-cum-Retirement) Gratuity Rules, 1983, hereinafter referred to as the principal rules, in rule 2;—

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

“(a) ‘emoluments’ means emoluments as determined by the order of the Central Government issued from time to time for computation of Gratuity”;

(b) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

“(d) ‘Qualifying service’ means continuous service rendered in the Board after completion of 18 years of age including continuous service rendered prior to the commencement of these rules, that is, from the date of appointment in the Board except the period of extraordinary leave without leave salary and the period of suspension adjusted as a special penalty :

Provided that the Board may, by order, decide that the time spent by an employee under training immediately before appointment to service under Board shall count as qualifying service;”;

(c) in clause (e), for the words “fifty eight/sixty years”, the words “sixty years” shall be substituted.

3. In the principal rules, in rule 5,—

(a) in sub-rule (1), for the words “one lakh rupees”, the words “rupees ten lakh” shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), in item (iv), under the heading “Rate of Gratuity”, for the words “one lakh rupees”, the words “rupees ten lakh” shall be substituted.

4. In the principal rules, in rule 8, for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely :—

“(1) In calculating the length of qualifying service for the purpose of gratuity, fraction of a year equal to three months and above shall be treated as a completed one-half year and reckoned as qualifying service.

(2) Where the amount of retirement or death gratuity as finally calculated contains a fraction of rupee, it shall be rounded off to the next higher rupee”.

5. In the principal rules, rules 13 and 16 shall be omitted.

[F. No. G-37026/4/2003-Fin.-II]

P. KALYANASUNDARAM, Director (IC) & Finance

Foot Note : The principal rules were published *vide* number G.S.R. 919(E), dated the 26th December, 1983 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 398(E), dated the 30th March, 1989.